Sahitya Manthan

A Peer-Reviewed, Open Access e-journal

ISSN: 2582 6867, Website: http://www.sahityamanthan.in

Year-3, Issue-9, Continuous Issue-25, May - June 2024

डो। बाबासाहेब आंबेडकरकी पत्रकारिता :'बहिष्कृत भारत में प्रकाशित डो। आंबेडकर के स्फुट लेख।'

- पंकजकुमार अनिरुद्ध रावल

की-वर्ड : गांधी -आंबेडकर- भारतीय पत्रकारिता - आंबेडकर के पत्र - बहिष्कृत भारत - स्फुट लेख -विशेषता-विषय-उपसंहार |

संशोधन प्रविधि : डो.आंबेडकरने अपने जीवन के दौरान अपने ही अस्पृश्य बांधवो की सामाजिक एवं राजकीय दुर्देवता से दुखी होकर उनको जगाने एवं सदियों से पीड़ित उन दलितबंधुओ में आत्मसन्मान का भावजागरण करने हेतु ,पत्रकारिता के मार्ग से लोककल्याण -लोकजागृति एवं लोकशिक्षण का कार्य ३६ साल तक किया | उन ३६ सालो में चार अखबारों का प्रकाशन स्वयं ने किया,उपरांत एक 'समता' नामक अख़बार में लेख लिखे | इन चार अखबारों में प्रमुखरूप से 'बहिष्कृत भारत' नामक उनके दूसरे अखबारमे लिखे उनके 'स्फुट लेखो'का विश्लेषण यहाँ संशोधन का प्रमुख विषय है |'बहिष्कृत भारत' के दो साल के कुल ४६ अंको में निहित 'स्फुट लेख'व्याप्त विश्व रहेगा | उसमे निहित सामग्री का विश्लेषण (content analysis) करके सामाजिक विषमता दुरस्त करने हेतु सूचित उपाय एवं प्रयोग का विश्लेषण करना यह संसोधन का प्रमुख उद्श्य है | संशोधक की यह अवधारणा है की स्फुट लेखो में निहित सन्देश को स्पष्टरूप से समजने पर ही सामाजिक विषमता दूर करके आपसी बंधुत्व,सामाजिक न्याय एवं सामाजिक समरसता स्थापित करने हेतु मदद मिलेगी | अंततोगत्वा ऐसा एक समरस और सशक्त समाज ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण करेगा |

प्रस्तावना :

'हमारे बहिष्कृत लोगो पर हो रहा अन्याय तथा भविष्य में होने वाले अन्याय की रोकथाम हेतु ,वैसे ही भावी उन्नति के लिए विचार-विनिमय करने हेतु समाचार पत्र जैसा अन्य दूसरा कोई स्थान नहीं है। लेकिन बंबई प्रान्त से निकलने वाले समाचारपत्रों की और देखने पर ज्ञात होता है की अधिकांश समाचार पत्र किसी जाती विशेष का हित साधने वाले है। अन्य जाती के कल्याण की उन्हें चिंता

नहीं है। इतना ही नहीं ,कभी-कभी वे अहितकारक प्रलाप भी करते दिखाई पड़ते है। '(गजभिये,२०१७) *1

डो। आंबेडकरके द्वारा प्रकाशित ' मूकनायक ' पत्रिकामें कहे गए उक्त शब्दोमे ही उनका समाज और राष्ट्रके प्रति चिंतन अभिप्रेत होता है। अफ्रीकामें गांधीजीके दो दशकसे भी ज्यादा निवासके दौरान,एकबार ट्रेनमें प्रथम वर्गकी श्रेणीमे प्रवास करते वक्त रंगसे काले होनेकी वजहसे गोरे अंग्रेज अफसरने गांधीजीको पीटरमारीत्सबर्गके रेल्वे स्टेशन पर सामान समेत उतार दिया। यही घटना उनके जीवनमे बदलाव का कारण बनी । बादमे भारत आकर यही गोरे अंग्रेज शासनके खिलाफ सामाजिक एवं राजकीय आंदोलन छेड़कर अंग्रेजोको देश छोड़ने पर मजबूर किया। डो। अम्बेडकरने भी यही मार्ग का अनुसरण करते हुए,सदियोंसे अपने ही सवर्ण देशबांधवोके द्वारा पीड़ित-शोषित-वंचित समाज पर धर्म-कर्मके नाम पर जो जूल्म ढहाए गए ,उन्ही पीड़ितोंकी आवाज बने। गांधीजी की तरह यह सामाजिक पुनजागरण का कार्य डो। आंबेडकरने कलमके माध्यमसे किया। डो। अम्बेडकरने ‘मूकनायक’ (१९२०),’बहिष्कृत भारत’ (१९२७),’जनता’ (१९३०) और ‘प्रबुद्ध भारत’ (१९५६) इस तरह चार पत्रों का प्रकाशन कार्य किया।'समता' नामक पत्रिका समाज समता संघ की मुखपत्रिकाके रूपमे चलती थी। डो। आंबेडकर समाज समता संघके अध्यक्षके नाते इस पत्रिकामे भी लिखते थे। उस समय डो। आंबेडकर नामक ‘मूकनायक’ ने ‘बहिष्कृत भारत’ की ‘जनता’ को अपनी लेखनीके माध्यमसे ‘प्रबुद्ध भारत’की पहचान करा दी और महाराष्ट्र एवं मराठी में दलितों के समाचार पत्रिय विश्व को नई राह दिखाकर एक ताकत प्रदान की।

लोकतंत्रमें चोथे स्तंभ माने जानेवाले अखबारका भारतमे आगमन अंग्रेज शासनमे हुवा। ' I take a pleasure in enslaving my body in order to purchase freedom for my mind and soul ' (पानतावणे,२०१५.पृ -१५) *2

यह शब्द है पहले अख़बार के जनक जेम्स हिकी के , जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके प्रशासन के बारेमे असमाधान व्यक्त किया था। उन्होंने अपने अख़बार 'बंगाल गेजेट' में बड़ी निर्भयताके साथ राजनैतिक व्यावसायिक स्वतंत्रता की बात कही थी।यही स्वातंत्र्य बरक़रार रखने हेतु गुलामीके कालखंड में प्रकाशित हुवे अख़बार ,पत्र ,पत्रिका इत्यादिने शासनके सामने संघर्ष किया।

‘अख़बार वैचारिक प्रतिपादनका प्रभावी हथियार है। मानवीयजीवन को सक्रियता का अर्थ देनेवाले अख़बार ज्ञान के सत्र है। कला,इतिहास,धर्म,साहित्य,समाज,संस्कृति,आदि के संबंध में ज्ञान प्राप्त हेतु अख़बार महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। जनशिक्षा और जनसेवा के साथ समाज निर्माण का एक प्रभावी माध्यम है। अखबारोंको शोषण,दासता,तानाशाही,अन्याय आदि के विरोधमे आक्रामक भूमिका अपनानी पड़ती है।‘ (पानतावणे,२०१५.पृ- १४) *3

हर हमेश अख़बार और उनके पत्रकार यही भूमिका का निर्वहन करेंगे ऐसा नहीं|कई बार व्यावसायिक लाचारी और मानसिकताके दबावमें जनमतको जगाने और सचेत करने के अपने दायित्व से हट जाते है। अखबारके दो स्वरुप है विधायक और विनाशक। नेपोलियन कहता था ' मेरे खिलाफ प्रचार करने वाले ये चार अख़बार मुझे एक हज़ार नंगी तलवारो से भी भयंकर लगते है '| लोकमान्य टिळक जैसे राजनीतिज्ञ ने तो कहा था की में जनजागृति के लिए ही अख़बार चलता हु। गोपाल गणेश आगरकर जैसे समाजसेवी ने अख़बार के जरिए समाज सुधार का अपना उदेश्य स्पष्ट करते हुए कहा समाज व्यवस्था में पैदा हुए दोषो पर बखूबी उंगली रखकर समाज को दिशा दिखाना ही मेरा लक्ष्य है। स्वातंत्र्य पूर्व में इस प्रकार के अखबार थे जो जनमानस को संस्कारित करना अपना धर्म समजते थे , अख़बार समाज के लिए आधार लगना चाहिए इस प्रकार की स्पष्ट भूमिका लेते थे।

इस प्रकारकी व्यावसायिक नैतिकता के बावजूद उस वक्त के अख़बार सामाजिक उपनिवेशकतावाद से ग्रसित थे। ज्यादातर अखबारोकी कमान सवर्ण हिंदुओंके हाथ में थी। परम्परा ,रूढ़ि ,सामाजिक छुआछूत ,जातिवाद आदि के चलते सवर्ण मालिकों के अख़बार सामाजिक रूप से अछूत वर्ग की समस्याओ के प्रति आंख मूंदकर चलते थे। हिन्दू समाजके अभिन्न अंग ऐसे अछूत वर्ग के प्रति हो रहे सामाजिक अन्याय ,असमानता का व्यव्हार ,शिक्षण ,स्वास्थ्य की अभावग्रस्त स्थिति आदि को जानबूझकर नजर अंदाज किया जा रहा था। इसी समाजमे पैदा हुवा बच्चा लाचारी और अभावग्रस्त अवस्थामे ही पलता बढ़ता था और जीवनका अंत भी इसी गरीबी में होता था। इनकी आवाज बनने की हिम्मत कोई अख़बार या पत्रकार ने नहीं दिखाई। इसीलिए पत्रकारिताके मूल्यों के लिए डो। आंबेडकर स्पष्टरूप से कहते थे

'पत्रकारिता कभी पैसा हुवा करती थी। अब व्यापर बन गया है। इसकी नैतिकता साबुन निर्माण से अधिक नहीं रही। किसी खास मंतव्य के बिना निष्पक्ष समाचार देना ,कोई कितना भी ऊँचा क्यों न हो -गलत रास्ता चुनने पर उनकी निर्भीक आलोचना करना , सुधार आदि मूल्यों की अब भारतीय पत्रकारितामे मान्यता नही रही। पहले इन सबको एक कर्तव्य माना जाता था। आज उनका मुख्य सिद्धांत है एक नायक चुनो और उसकी पूजा करो'। (नंदकुमार,२०१५) *4

' भारतीय पत्रकारिता चारणो द्वारा उनके नायको का महिमामंडन है कभी भी नायक पूजा के लिए देश के हितो को इस तरह कुर्बान नहीं किया गया था। ना ही कभी नायक पूजा इतनी गंदी रही है जैसी की आज भारत में देखि जा रही है। मुझे इस बात की ख़ुशी है की कुछ सम्मानजनक उत्पाद मौजूद है लेकिन उनकी आवाज कभी सुनी नहीं गई।'

(डो। आंबेडकर की पत्रकारिता पर लार्ड सालसबरी का बयान)

इसी सामाजिक परिवेशमें डो। आंबेडकरकी पत्रकारिताने जन्म लिया। प्रारम्भमे अपने लेख अंग्रेजी अखबारमे छपवाए। एक महत्वपूर्ण सवाल पर अपना पक्ष योग्यतापूर्ण तरीके से रखकर अपनी योग्यताका परिचय दिया।

सर फिरोज शाह का निधन सन १९१५ में मुंबई में हुवा। उनकी याद चिरंतन रहे इसलिए उनका पुतला मुंबई महानगर निगम के सामने स्थापित करने के सुझाव आए। यह बात डॉ। आंबेडकरके ध्यानमे आयी तब उन्होंने लिखा

‘ फिरोज शाह का सही स्मारक स्थापित करना हो तो उनके त्याग और देशके प्रति जो प्रतिबद्धता दिखाई है उसका लगातार स्मरण रहे ऐसा मुजे लगता है| तो उनके नाम पर एक विशाल ग्रंथालय बनाना चाहिए। किसी भी देशके बौद्धिक और सामाजिक उत्थान में ग्रंथालयकी भूमिका महान होती है। इतिहास के एक नायक फिरोज शाहके ध्येयवाद की प्रेरणा अमर रहेगी।‘ (पानतावणे,२०१५.पृ-५९) *5

उस समय महाराष्ट्रमे अनेक पत्र - पत्रिकाऐं थी लेकिन अछूतो की समस्या को प्रमुखता और महत्व देनेवाला एक भी अख़बार नहीं था यह डॉ। आंबेडकर ने महसूस किया। इसलिए सदियोसे अबोल लोगो के मनके विचारो को अभिव्यक्ति देने हेतु ३१ जनवरी ,१९२० को ‘मूकनायक’ नामक पाक्षिक का मुंबई से प्रारम्भ किया। स्वयं सीडेनहाम कॉलेजमें सेवारत होनेकी वजह से अछूत समाज के पांडुरंग नंदराम भटकर को संपादक बनाकर समाज परिवर्तन की सोच का परिचय दिया। १९२० में हुए महाड सत्याग्रह को इस पत्रिकाने प्रमुख रूप से कवरेज किया। यह आंदोलन अछूतो को हो रहे अन्याय के खिलाफ था जो इतिहास में अमर हो गया। इस प्रकार ‘बहिष्कृत भारत’ जहां संत साहित्य की पंक्तियां छापकर संत साहित्य के प्रति गंभीरता का परिचय दिया। ‘मूकनायक’ और ‘बहिष्कृत भारत’ के बाद लम्बे वक्त तक ‘जनता’ का प्रकाशन हुवा। अछूतो में संघर्ष की चेतना जगाने के लिए ही ‘जनता’ का जन्म हुवा। जिसमे सामाजिक ओर शिक्षा विषयक सवालों के साथ धर्मान्तरण के सन्दर्भ में विचार व्यक्त किये। वे बहोत ही बुनियादी और सभी अंगो को छूनेवाले थे। डो।आंबेडकरकी इच्छा थी की ‘जनता’ का प्रकाशन लम्बे वक़्त तक चलते रहना चाहिए। अपने स्वावलम्बन एवं भावी राजनैतिक संघर्षो के लिए बहोत बड़े पैमाने पर विकसित भी करना चाहिए। ‘जनता’ पत्रिका लगभग २५ साल तक चली बिच बिच में रुकी भी। जब अपने अनुयायी के साथ बाबासाहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली बाद में ४ फरवरी ,१९५६ को नामांतरण 'प्रबुद्ध भारत' के रूप में हुवा। ६ दिसम्बर ,१९५६ में बाबासाहेब के परिनिर्वाण के बाद एक संपादक मंडल गठित हुवा। जिसने १९६१ तक चलने के बाद ये पत्रिका बंध हुई।

लंदनसे पढाई पूरी कर डो। आंबेडकर १९२३मे भारत वापस लोटे। बादमे लोगोसे चंदा इकठा कर ३ अप्रैल,१९२७- इतवार के दिन 'बहिष्कृ भारत' नामक पाक्षिक का प्रारंभ किया। इस पत्रिका का पंजीकरण नंबर B-2250 था। ठीक इसी वक्त डो। आंबेडकर के प्रतिस्पर्धी अक्काजी गवई ने नागपुर से 'बहिष्कृ भारत' समान नाम से प्रारंभ किया। इस अख़बार की विशेषता थी डो। आंबेडकर के स्फुट लेख,

'आम तौर पर सामयिक सवालों पर लिखे जाते है | यहाँ विषय की मर्यादा नहीं होती। विस्तार की मर्यादा जरूर होती है। स्फुट लेखो में लेखक के व्यक्तित्वका, जीवन द्रष्टि का ,खोजपूर्ण दर्ष्टिकोण का और विचार विशेषता का स्वरुप दिखाई देता है।'(पानतावणे,२०१५.पृ- २३१)*6

'जनता' और 'प्रबुद्ध भारत' में भी स्फुट लेख छपे ,लेकिन वे डो। आंबेडकर के नहीं थे। बहिष्कृत भारत में १९२७ के पहले साल के अंक में
' आजकल के सवाल ' इस कॉलम के अंतर्गत और दूसरे साल 'सामयिक विचार' कॉलम के अंतर्गत प्रकाशित हुए। इन स्फुट लेखो की विशेषता यह है की उनमे विभिन्न प्रकारके विषय है। यह विषय आज भी उतने ही प्रस्तुत है जितने उस वक़्त थे।'(पानतावणे,२०१५.पृ- २३२)*7
इन स्फुट लेखोमे डो। आंबेडकरने बाल-विवाह का परिणाम,वर्णाश्रम का प्रभाव,मंदिर प्रवेश,सत्याग्रह,मनु स्मृति दहन विवाद,सहभोज,मिश्र विवाह,मिश्र बस्तियां ,रोटी-बेटी व्यव्हार,सायमन कमीशन,हिंदू संस्कृति आदि कई विषयो पर अपने विचार व्यक्त किये और अपनी कलम की विशेषता का परिचय दिया। उनके इन लेखोमे राजनीतिक,सामाजिक,सांस्कृतिक,शिक्षा आदि अंगो को स्पर्श करने वाले लेख होने की वजह से उसमे जिन्दापन और एक आग नजर आती है। इस लेखो के जरिए डो। आंबेडकर का अवलोकन,समाज के प्रश्नो के प्रति उनका गहरा अभ्यास एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है।
भारतमे तथाकथित सवर्ण समाज के लोग अपने ही देशमे,अपने ही अंगभूत घटक ऐसे दलित बांधवो को अछूत मानकर सामाजिक व्यव्हारमें तिरस्कृत करते थे। उनको अपन बराबर मानते नहीं थे। सामाजिक रूप में बहिष्कृत अवस्था में जीवन ज्ञापन करने को मजबूर करते थे।
'यही सवर्ण जाती के लोग जब विदेशो की भूमि पर यात्रा करने जाते थे। तब गोरी चमड़ी की मानसिकता वाले विदेशी नागरिक ये काली चमड़ी वालो के साथ ठीक इसी प्रकार अस्पृश्यता का व्यव्हार करते थे। जो इन स्वर्णो को ना गवार गुजरता था। और उसके बारे में भयंकर विरोध की प्रतिक्रिया व्यक्त करते थे। एडिनबरो शिक्षा के लिए गए कुछ स्वर्ण छात्रों ने अंग्रेजो के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई। उनको कुछ होटलो में प्रवेश भी नहीं मिलता था।'
(पानतावणे,२०१५.पृ- २३३)*8
डो। आंबेडकर ने इस 'स्व' विनाश की घटनाओ के बारेमे उपहासात्मक ढंग से चर्चा की है। जंहा शिक्षा पर एक परंपरागत मान्यता प्रभावी हो रही है। जो 'स्व' के भीतर एक विद्रोह पैदा कराती है। समाज मानस के इस दोगलापन को कुछ अलग ढंग से प्रस्तुत कर बडा ही मार्मिक वर्णन किया है। यह समाज का मानसिक परिवर्तन नहीं बल्कि व्यावसायिक परिवर्तन है। और इसी व्यावसायिक

परिवर्तन ने गुणकर्म अनुसार चतुर्वर्ण का निर्माण करने वाली ईश्वरीय रचना किस तरह खंडित किया है। और जाती आधारित वर्णाश्रम को कैसे प्रभावी बनाया इस बात का चुटकुले के रूप में वर्णन किया है।

'आजकल विशेष जाती का विशेष एकाधिकार समाप्त होकर ब्राह्मण जुते बेचने का काम कर रहे है और अछूत उनसे ईर्ष्या करते है। राजपूत लोग पुरोहितपन पाने हेतु ब्राह्मणो से मुकाबला कर रहे है। अछूत अपनी सिमा लांघकर प्रोफेसरी ,वकालत आदि स्वर्णो का कर्म कर रहे है। तीनो वर्ण मुँह का निवाला अपनी और खिंच रहे है। यही सामाजिक चरित्र है। कहने को कुछ और करने को कुछ और यही समाज के बदलते रंग-रूप है'।(पानतावणे,२०१५.पृ- २३३)*9

'हिन्दू समाज के भौतिक पतन का कारण बालविवाह है। इस तरह का विचार व्यक्त कर डो। आंबेडकर ने बालविवाह की परंपरा को ही इसका प्रमुख कारण बताया। सन १९२७ में ओरिएण्टल बिमा कंपनी द्वारा प्रकाशित पुस्तक का हवाला देते हुए कहा की यूरोपियनो की सापेक्ष हिन्दू शारीरिक रूप से दुर्बल है। और इसकी वजह छोटी आयुमें शादी होने की वजह बताया।'

(पानतावणे,२०१५.पृ- २३४)*10

पुणे में आयोजित महाराष्ट्र शारीरिक परिषद् में स्वीकृत प्रस्तावमे बालविवाह निषेध को स्वीकृति नहीं मिलने पर डो। आंबेडकरने आश्चर्य व्यक्त किया। सन १८७१ में बंगाल के महान समाज क्रांतिकारी केशवचन्द्र सेन ने इस बात को लेकर डॉक्टरो की राय मांगी थी। और उन सभी का कारण बालविवाह ही माना गया। यदि बालविवाह को धार्मिक परंपरा से जोड़ा गया तो शारीरिक पतन के बारे मे सोचना उचित नहीं होगा। ये मानसिक दुर्बलता ही कहलायी जाएगी। स्वस्थ और सबल समाज की रचना शारीरिक एवं मानसिक बलिष्ठता से ही संभव है। इसी बात का अनुमोदन महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक आगरकर ने करते हुए कहा शरीर बलवान तो मन बलवान , ऐसे लोगो से बना समाज बलवान।

सामूहिक भोज एक तरह से सामाजिक मिलाप की खोज है। कुछ लोग उस वक्त इस प्रकारके सामूहिक भोज का समर्थन करते थे। तो दूसरी और कुछ लोग इनसे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं ऐसा मानते थे। सन १९२७ में हुए चिंचपोकली गणेश उत्सव में आयोजित समूह भोज एवं १९२९ में चिपलुन में रत्नागिरी जिला बहिष्कृत परिषद के दवारा आयोजित समूह भोज कार्यक्रम पर अपने लेखमे डो। आंबेडकरने प्रसन्नता व्यक्त की। जहाँ ब्राह्मण ,हरिजन , भंगी आदि जातिओ ने साथ मिल बैठकर खाना पकाया एवं एक पंक्तिमे बैठकर थाली से थाली लगाकर समूह भोजन का आनंद उठाया। चिपलुन में हुए भोज की विशिष्टता यह थी की वो कोंकणस्थ ब्राह्मणके घरमें हुवा। यह घटना सामाजिक परंपरा और रूढ़ि के विरुद्ध थी।

‘ डो।आंबेडकर इस प्रकार के प्रयासों को सामाजिक पुनर्निर्माण की दृष्टि से देखते थे। समूहभोज से न केवल अछूतो का उद्धार होगा बल्कि सवर्णो का भी उद्धार होगा। उनका मानसिक उत्थान होगा। सदियों से जो एक दिवार खड़ी की गई गयी है, वो टूटेगी। सामाजिक ऐक्य की और प्रस्थान होगा। डो। आंबेडकर ने यह प्रयासों को उत्सव तक सिमित न रखते हुवे व्यव्हार में लाने की हिदायत दी। एवं ब्राह्मणो के साहस को सराहा।‘(पानतावणे,२०१५.पृ- २३५)*11
हिन्दू समाज रोटी व्यव्हार के साथ बेटी व्यवहार की पाबंदी से भी ग्रसित था। रोटी व्यवहार तो फिर भी स्वीकारा जा सकता था। लेकिन बेटी व्यवहार के बारे में सोचना भी पाप था। लेकिन जातिभेद के दूषण को समाप्त करने हेतु वह आवश्यक था।

डो आंबेडकर कहते है सिर्फ रोटी व्यवहार से जातिगत समस्या का हल संभव नहीं। बेटी व्यवहार पर पाबंदी जातिभेद के पेड़ का पोषण करती है। इसीलिए मूल पर प्रहार करो। इसके आलावा और कोई विकल्प नहीं है। एक सुन्दर लेख में उपमा देकर वो लिखते है :

'बेहद बढे हुए कंटीले पेड़ का कंटीला बांध यदि नहीं चाहिए तो उसको ऊपर ऊपर से काटने पर कोई फायदा नहीं होगा। उनको जड़ से काटना पड़ेगा। ठीक इसी तरह जातिभेद की ईमारत बेटी-बंदी पर खड़ी है,रोटी बंदी पर नहीं। इसलिए जातिभेद की ईमारत को नष्ट करना है तो पहले बेटी-बंदी की दिवार को तोडनी होगी'।(पानतावणे,२०१५.पृ- २३६)*12

यदि सनातनि हिन्दूओ को लिए ये संभव नहीं, फिर भी समाज में जो भेद पैदा हुआ है उनको मिटाना होगा | इससे बड़ा और कोई राष्ट्रिय लाभ नहीं। गुलाब खान , बशिरुद्दीन खान और मालिनीबाई परंदीकर के विवाह इस बात का प्रमाण है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी जाती बाह्य विवाह का समर्थन किया है। जून १९२९ में द्रविड़ वधु और ब्राह्मण दूल्हे का मद्रास में जाती बाह्य विवाह हुवा था। डो। आंबेडकर ने उनका खुले दिल से अभिनंदन किया था। यहाँ उन्होंने ब्राह्मणो को समाजकी नेतृत्वशक्ति के रूप में इस कार्यक्रमे अग्रेसर होने के लिए आह्वान किया।

यहाँ ये प्रश्न होना स्वाभाविक है की सिर्फ विवाह के लिए डो। आंबेडकर का इतना आग्रह क्यों ? तो वो स्पष्टरूप से मानते थे की रोटी व्यव्हार हो या मंदिर प्रवेश कार्य ,इसमें से कोई भाग सकता है। लेकिन विवाह में भागना असंभव है। और यही समानता की सही कसौटी है।

डो आंबेडकर ने मंदिर प्रवेश,सत्याग्रह,मनुस्मृति दहन आदि विषयो पर जो स्फुट लेख लिखे है वे बौद्धिक और विचारो से ओतप्रोत है। डो आंबेडकर ने अपने 'आधा भी नहीं ' देते तो पूरा ही लेंगे (अर्धे ही देत नाही तर सर्वच घेवू) इस शीर्षक तले लिखे एक स्फुट लेख के मुताबित

'सन १९२७ में अमरावती में अंबाबाई मंदिर प्रवेश को लेकर अछूतो ने सत्याग्रह शुरू किया। सवर्ण समाज पर इसका कोई असर नहीं पड़ता देख बे.बागवे ने समझोता करवाया। इसके मुताबित मंदिर में मूर्ति के पास दीवार बनायीं जाएगी,इसके आगे ब्राम्हणो के अलावा और किसीको जाने का अधिकार नहीं। दिन के कुछ समय छोड़कर सारे दिन हिन्दूओ को दर्शन के लिए रूकावट नहीं ,उस समय अछूतो के लिए पाबन्दी इत्यादि। डो आंबेडकर ने लिखा अछूतो की अपवित्रता को कैसे बरक़रार रखा गया है उस बात की स्पष्टता की। इस बात में समता प्रस्थापित करने के नाम पर जालसाजि है। इसमें जातीय विषमता समाप्त करने का रास्ता नहीं दीखता।'(पानतावणे,२०१५.पृ-२३९)*13

अछुतो के लिए स्वतंत्र अर्थात अलग मंदिरो की कल्पना ऊपरी तौर पर अच्छी लगती है। लेकिन डो आंबेडकर कहते है कि

'इस प्रयास के पीछे सामाजिक भावना होगी भी, लेकिन सवर्णो और अछूतो के बिच यही दुरी पैदा करेगी। अलग मंदिर बनाना कोई पुरुषार्थ नहीं बल्कि ' भगोड़े ' पन का प्रकार होगा। हमारे पुरखे पराक्रमी थे। उन्होंने तलवार और बंदूके उठायी है ,आज हमारे हाथोमे कलम आ गयी ये और बात है। ये उठाना जानते नहीं ऐसा भी नहीं ,लेकिन इसमें अक्कलमंदी नहीं है। डो आंबेडकरने स्वतंत्र मंदिर की संकल्पना को सिरेसे ख़ारिज किया था।'(पानतावणे,२०१५.पृ- २४१)*14

इन विषयो के अलावा पुणे में मंदिरोंकी भीड़,सत्यशोधक समाज ,आर्य समाज और ब्राह्मण सभा,भड़काऊपन ,बड़बोलापन और विपत्ति धर्म ,व्यक्ति अवलोकन आदि विषयो पर स्फुट लेख लिखे। डो आंबेडकर के स्फुट लेख कई सवालों को छूने वाले है। इन सभी लेखो से उनका चिंतन समाज परिवर्तन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता , सच्चाई और ईमानदारी के साथ व्यक्त करने की कुशलता और प्रासंगिक विषयो की और जीवन को वास्तववादी दृष्टि से देखने की बहुलता दिखाई देती है।

उन्होंने बाल-विवाह जैसे सामाजिक सवालों से लेकर विभिन्न विषय में कार्य करने वाले व्यक्तिओ तक जिसमे वल्लभभाई पटेल,जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ,न.वि.गाडगीळ,मदनमोहन मालवीयाजी तक एवं अलग अलग विषयो पर अपने विचार समय समय पर प्रकट किये। इनमे सवालों का स्वरुप और अपनी उनमे भूमिका दोनों बाते स्पस्टता के साथ रखने का साहस दिखाया।उनकी कलम विषयो के रहस्यों को उद्घाटित करते समय कभी आक्रमक बन जाती है , तो कभी खोजकर्ता की भूमिका निभाती है। तो कभी कार्य-कारण के पीछे का वैज्ञानिक दृष्टिकोण

उजागर करती है। उनकी विशिष्टता या शालीनता ये थी की कभी डो। आंबेडकर ने निजी स्वार्थ या निजी प्रशंसा के लिए अपनी कलम का इस्तेमाल नहीं किया ।

उपसंहार

उनकी कलम की विशेषता है संयमितता और स्पष्टवादिता , बुद्धि प्रमाणवाद और अहंकार का नाश। इस तरह उनकी निर्भीक कलम से निकली पत्रकारिता निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर पीड़ित और वंचित समाज के उद्धार हेतु ,अपने भारतीय समाज में व्याप्त दूषणो को समाप्त कर | सशक्त समाज के निर्माण द्वारा पूरी दुनिया में उन्नत ऐसा महान राष्ट्र-भारत बनाने हेतु | उनके जीवनकाल के ३७ साल तक एक पत्रकार के रूप में लेखन कार्य किया।डो। आंबेडकर की पत्रकारिता इस मायने में समाज नवजागरणका एक वैचारिक आंदोलन थी

<u>संदर्भ सूची</u>

1. गजभिये.प्रभाकर(२०१७).बहिष्कृत भारत में प्रकाशित बाबासाहेब डो आंबेडकर के सम्पादकीय (नई दिल्ली).सम्यक प्रकाशन. पृ -१७
2. पानतावणे.गंगाधर(२०१५).महान पत्रकार बाबासाहेब डो.आंबेडकर (नई दिल्ली).सम्यक प्रकाशन.पृ -१५
3. -Ibid- पृ- १४
4. नंदकुमार.जे(२०१५).पत्रकारिता के प्रकाश स्तम्भ डो.आंबेडकर (नवी दिल्ली).पांचजन्य -भारत प्रकाशन लिमिटेड.पृ-२४
5. पानतावणे.गंगाधर(२०१५).महान पत्रकार बाबासाहेब डो.आंबेडकर (नई दिल्ली).सम्यक प्रकाशन.पृ-५९
6. -Ibid पृ- २३१
7. -Ibid पृ- २३२
8. ९ -Ibid पृ- २३३

१० -Ibid पृ- २३४

११. -Ibid पृ- २३५

१२. -Ibid पृ- २३६

१३. -Ibid पृ- २३९

१४. -Ibid पृ- २४१

प्रस्तुतकर्ता
पंकजकुमार अनिरुद्ध रावल
विद्यार्थी -पीऐच।डी
पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग
गूजरात विद्यापीठ ,अहमदाबाद

मार्गदर्शक
डो। अश्विनकुमार
प्राध्यापक
पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग
गूजरात विद्यापीठ ,अहमदाबाद